रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24082026-275690
CG-DL-W-24082026-275690

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, अगस्त 2—अगस्त 8, 2026, शनिवार/ श्रावण 11—श्रावण 17, 1948
No. 11] NEW DELHI, AUGUST 2— AUGUST 8, 2026, SATURDAY/ SHRAVAN 11— SHRAVAN 17, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

आ.अ. 80.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **14-पेहोवा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः,हरियाणा राज्य के **14-पेहोवा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 नवम्बर, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कुरूक्षेत्र**की रिपोर्ट दिनांक **09.11.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री कुलदीप सिंह** जो हरियाणा राज्य के **14-पेहोवा** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2024से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री कुलदीप सिंह** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. **76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांकः 30 अप्रैल, 2025** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री कुलदीप सिंह** कोलेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनो के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **कुरूक्षेत्र** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कुरूक्षेत्र** से दिनांक 11.06.2025के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/442 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री कुलदीप सिंह के बेटे (नाम युगराज)** को दिनांक 14.05.2025 को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **कुरूक्षेत्र** ने पत्र सं0- निर्वाचन-2025/443 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि**श्री कुलदीप सिंह** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री कुलदीप सिंह** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखाउस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उस को निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः,तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री कुलदीप सिंह** अपने निर्वाचन व्ययके लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10कके अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के **14-पेहोवा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी **श्री कुलदीप सिंह, 488, मुर्तजापुर, हरियाणा।** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./14/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

राकेश कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 18th June, 2026

O.N. 80.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **14-Pehowa** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election for **14-Pehowa** Assembly Constituency of Haryana, 2024 was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 7**th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Kurukshetra** report dated **09.11.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Kuldeep Singh** a contesting candidate from **14-Pehowa** Assembly Constituency of state of Haryana has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Kurukshetra** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Kuldeep Singh** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Kuldeep Singh**was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Kurukshetra** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kurukshetra** vide his letter no. Elec-2025/442 dated 11.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Kuldeep Singh's son (name Yugraj)** on 14.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Kurukshetra** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2025/443 dated 13.06.2025 has reported that **Sh. Kuldeep Singh**has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Kuldeep Singh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Kuldeep Singh** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Kuldeep Singh, 488, Murtzapur, Haryana,** a contesting candidate for **14-Pehowa Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/14/2024/CEMS-I]

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

आ.अ. 81.— यतः, भारतनिर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/अरुणा0- वि0स0/2024दिनांक 20मार्च, 2024के अनुसरण में49-बोरदुमसा-दियुनविधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अरुणाचल प्रदेशविधान सभा का साधारण निर्वाचन,2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, अरुणाचल प्रदेशके 49-बोरदुमसा-दियुनविधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 02 जून, 2024को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02जुलाई, 2024थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश से उनके दिनांक16.07.2024के पत्र सं.EN/OP/CE-30/2024, के तहत प्राप्तजिला निर्वाचन अधिकारी, चांगलांग की दिनांक 03.07.2024की रिपोर्ट के अनुसार, श्री बिरी जॉय, जो अरुणाचल प्रदेशके 49-बोरदुमसा-दियुनविधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,2024 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, चांगलांग की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री बिरी जॉय को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/ARUN-LA/49/2024/सीईएमएस-I,दिनांक 19.11.2024कोजारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री बिरी जॉय को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी,चांगलांग जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अरुणाचल प्रदेशने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस सुश्री बिरी चुमकू (श्री बिरी जॉय की बेटी)को दिनांक 12.12.2025को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, चांगलांग ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 21.05.2026, के द्वारा सूचित कियाहै कि श्री बिरी जॉय ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री बिरी जॉय द्वाराविधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री बिरी जॉय अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि अरुणाचल प्रदेश के 49-बोरदुमसा-दियुन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री बिरी जॉय,निवासी- चिंपू ईटानगर,डाकघर आर. के. मिशन, थाना चिंपू, जिला पापुमपारे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/अरूणा0-वि0स0/49/2024/सीईएमएस-।]

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2026

O.N. 81.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Arunachal Pradesh, 2024 for **49-Bordumsa-Diyun** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ARUN-LA/2024, dated 20th March, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **49-Bordumsa-Diyun** Assembly Constituency of Arunachal Pradesh, 2024 was declared by the Returning Officer on 2nd June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 2nd July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 03.07.2024 of **DEO, Changlang** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer**, Arunachal Pradesh**vide his letter No. EN/OP/CE-30/2024 dated 16.07.2024,**Sh. Biri Joy,**a contesting candidate from **49-Bordumsa-DiyunAssembly Constituency** of Arunachal Pradesh, 2024 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer**,** a 'Show-Cause Notice' No. **76/ARUN-LA/49/2024/CEMS-I, dated 19th November, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to**Sh. Biri Joy,** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Biri Joy,** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer**, Changlang**,District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the Chief Electoral Officer, Arunachal Pradesh, has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to**Ms. Biri Chumku (Daughter of Sh. Biri Joy),** on dated **12.12.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer**, Changlang**in his Supplementary Report dated 21.05.2026 has reported that **Sh. Biri Joy,** has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Biri Joy** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Biri Joy,** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act,1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Biri Joy, R/o Chimpu Itanagar, P.O. R.K Mission, P.S. Chimpu, Papumpare District**and a contesting candidate from**49-Bordumsa-Diyun**Assembly Constituencyin

General Election to the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh, 2024, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/ARUN-LA/49/2024/CEMS-I]

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2026

आ.अ. 82.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **74-रेवाड़ी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **74-रेवाड़ी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक **8 अक्तूबर, 2024** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **7 नवम्बर, 2024** थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रेवाड़ी** की रिपोर्ट जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्रीमती मोकी देवी** जो **74-रेवाड़ी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्रीमती मोकी देवी** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस **सं. 76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांकः 30 अप्रैल, 2025** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्रीमती मोकी देवी** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनो के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **रेवाड़ी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रेवाड़ी** से दिनांक 16.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/711 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्रीमती मोकी देवी के घर के बाहर** दिनांक **18.06.2025, 02.03.2026 एंव 01.04.2026** को चस्पा किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रेवाड़ी** ने पत्रो सं0- निर्वाचन-2025/711 एंव निर्वाचन-2026/337 दिनांक 16.06.2025 एंव 06.04.2026 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्रीमती मोकी देवी** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्रीमती मोकी देवी** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है किः

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्रीमती मोकी देवी** अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के **74-रेवाड़ी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्रीमती मोकी देवी, म0 नं0 280, राजविलास के पीछे, पूरण नगर, रेवाड़ी, हरियाणा,** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./74/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2026

O.N. 82.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **74-Rewari** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **74-Rewari** Assembly Constituency of Haryana, was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 7th **November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Rewari** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Moki Devi** a contesting candidate from **74-Rewari** Assembly Constituency has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Rewari** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Moki Devi** for not lodging of her account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Smt. Moki Devi** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Rewari** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rewari** vide his letters no. Elec-2025/711 and no. Elec-2026/337 dated 16.06.2025 and 06.04.2026 has informed that the notice was pasted on the outer wall of **Smt. Moki Devi's** house on **18.06.2025, 02.03.2026 and 01.04.2026**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rewari** in his Supplementary Report, vide its letters no. Elec-2025/711 and no. Elec-2026/337 dated 16.06.2025 and 06.04.2026 has reported that **Smt. Moki Devi** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Smt. Moki Devi** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of her election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Smt. Moki Devi** has failed to lodge account of her election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Moki Devi, H.No. 280, Behind Rajvilas, Puran Nagar, Rewari, Haryana,** a contesting candidate from **74-Rewari Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/74/2024/CEMS-I]

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2026

आ.अ. 83.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना सं0 464/भा0नि0आ0/हरि0-वि0स0/2024 के अनुसरण में हरियाणा राज्य के **74-रेवाड़ी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, हरियाणा राज्य के **74-रेवाड़ी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक **8 अक्तूबर, 2024** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **7 नवम्बर, 2024** थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रेवाड़ी** की रिपोर्ट जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा से दिनांक 05.02.2025 पत्र सं0 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री रणबीर सिंह** जो **74-रेवाड़ी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री रणबीर सिंह** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस **सं.76/हरि/वि.स./व्यय लेखा/2024/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांकः 30 अप्रैल, 2025** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री रणबीर सिंह** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनो के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **रेवाड़ी** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रेवाड़ी** से दिनांक 16.06.2025 के पत्र सं0- निर्वाचन-2025/711 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री रणबीर सिंह के बेटे (नाम देवेन्द्र) को** दिनांक **21.05.2025** को तामिल किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रेवाड़ी** ने पत्र सं0- निर्वाचन-2025/711 दिनांक 16.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री रणबीर सिंह** ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, **श्री रणबीर सिंह** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रणबीर सिंह** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में हरियाणा राज्य के **74-रेवाड़ी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री रणबीर सिंह, गांव-बुडानी, डाकखाना-तुर्कियावास, जिला रेवाड़ी, हरियाणा,** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/हरि.-वि.स./74/2024/सी.ई.एम.एस.-1]

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2026

O.N. 83.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Haryana, 2024 for **74-Rewari** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/HAR-LA/2024, dated 5th September, 2024; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **74-Rewari** Assembly Constituency of Haryana, was declared by the Returning Officer on **8th October, 2024** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 7**th November, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Rewari** forwarded by the Chief Electoral Officer, Haryana vide his letter no. 6/Elect-Exp./GELA-HR-2024/Elec-2025/2AE-692 dated 05.02.2025, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ranbir Singh** a contesting candidate from **74-Rewari** Assembly Constituency has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Rewari** a Show-Cause notice No. **76/HR-LA/Exp. Account/2024/CEMS-I, dated 30th April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ranbir Singh** for not lodging of his account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ranbir Singh** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Rewari** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rewari** vide his letter no. Elec-2025/711 dated 16.06.2025 has informed that the notice was duly served and received by **Sh. Ranbir Singh's son (name Devendra)** on 21.05.2025; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rewari** in his Supplementary Report, vide its letter no. Elec-2025/711 dated 16.06.2025 has reported that **Sh. Ranbir Singh** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Ranbir Singh** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Ranbir Singh** has failed to lodge account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ranbir Singh, Village-Budani, P.O.-Turkiawas, District Rewari, Haryana,** a contesting candidate from **74-Rewari Assembly Constituency** of Haryana in General Election to Legislative Assembly, 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/HR-LA/74/2024/CEMS-I]

RAKESH KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2026

आ.अ. 84.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 30 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना सं0 464/राज0-वि0स0/2023 के अनुसरण में **राजस्थान** राज्य के **47-आमेर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, राजस्थान राज्य के **47-आमेर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन का परिणाम रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिनांक **3 दिसम्बर 2023** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **2 जनवरी 2024** थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयपुर** की रिपोर्ट दिनांक **04.01.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से दिनांक **16.01.2024** पत्र सं0 **F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433** को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री विनोद जाट** जो **47-आमेर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयपुर** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री विनोद जाट** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस **सं.76/राज-वि.स./47/2023/ सी.ई.एम.एस.-1, दिनांकः 19 मार्च, 2024** को जारी किया गया था, और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार **श्री विनोद जाट** को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनो के भीतर **जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर** को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयपुर** से दिनांक 13.04.2024 के पत्र सं0-निर्वा./लो.आ.चु/2024/2094 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस विधिवत रूप से **श्री विनोद जाट** की पत्नी **श्रीमती बादाम चौधरी** को दिनांक **03.04.2024** को तामील किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयपुर** की अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक **13.08.2024** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से दिनांक **21.08.2024** पत्र सं0 **F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./8511** को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री विनोद जाट** ने निर्वाचन व्यय का लेखा अधूरा और समयावधि के बाद दाखिल किया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र दिनांक 02.01.2025 एंव अनुस्मारक पत्र दिनांक 25.03.2025 के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयपुर** को निर्देशित किया था कि अभ्यर्थी से चुनाव व्यय का पूर्ण लेखा, जिसमें वाउचर, रजिस्टर, बैंक खातो का विवरण आदि शामिल हो, विधि मान्य तरीके से प्रस्तुत करवाया जाए; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयपुर** की द्वितीय अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक **19.03.2025** जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से दिनांक **01.04.2025** पत्र सं0 **F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./2023/1490** को प्राप्त हुई थी, के अनुसार **श्री विनोद जाट** ने 10.03.2025 को स्वंय नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी विधि के अंतर्गत यथापेक्षित रीति से पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है; और

यतः, लेखा विलम्ब से एंव अधूरा प्रस्तुत किए जाने के कारण, भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र संख्या 76/राज.-वि.स./40-49/2023/सी.ई.एम.एस.-1, दिनांक 30.01.2026 के माध्यम से **श्री विनोद जाट** को निर्देशित किया गया है कि वे निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा, सभी वाउचरों सहित प्रस्तुत करें एंव उक्त लेखे को विलम्ब से दाखिल करने के कारण का स्पष्टीकरण भी जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयपुर** ने अपनी तृतीय अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 01.04.2026 के पत्र सं0-निर्वा./2026/1199 के द्वारा सूचित किया कि **श्री विनोद जाट** ने उनके व्यय लेखा से संबंधित सभी व्यय वाउचर जिला निर्वाचन अधिकारी, **जयपुर** कार्यालय में जमा नहीं करवाए है एंव निर्वाचन व्यय का लेखा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया है और इसके अतिरिक्त, आयोग के पत्र दिनांक 30.01.2026 (जो उनकी पत्नी **श्रीमती बादाम चौधरी** द्वारा प्राप्त किया गया) को प्राप्त करने के उपरांत, **श्री विनोद जाट** ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण अथवा न्यायोचित्य नहीं रखता है

तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डो के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री विनोद जाट** अपने निर्वाचन व्यय का लेखा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2023 में राजस्थान राज्य के **47-आमेर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री विनोद जाट, 43, ग्राम नारदपुरा, तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर, राजस्थान,** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/राज.-वि.स./47/2023/सी.ई.एम.एस.-1]

राकेश कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2026

O.N. 84.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Rajasthan, 2023 for **47-Amer** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No.464/RJ-LA/2023, dated 30th October, 2023; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned election from **47-Amer** Assembly Constituency of Rajasthan, 2023 was declared by the Returning Officer on **3rd December, 2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **2nd January, 2024**; and

WHEREAS, as per the report submitted by **DEO, Jaipur** report dated **04.01.2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./433 dated 16.01.2024, under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Vinod Jat** a contesting candidate from **47-Amer** Assembly Constituency of state of Rajasthan has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Jaipur** a Show-Cause notice No. **76/RJ-LA/47/2023/CEMS-I, dated 19th March, 2024** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Vinod Jat** for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Vinod Jat** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Jaipur** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jaipur** vide his letter no. Ele./L.Gen.Ele./2024/2094 dated 13.04.2024 has informed that the notice was duly served and received by **Smt. Badam Choudhary, wife of Sh. Vinod Jat** on dated **03.04.2024**; and

WHEREAS, as per the supplementary report submitted by **DEO, Jaipur** dated 13.08.2024 forwarded by the Chief Electoral Officer, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./8511 dated 21.08.2024, has reported that **Sh. Vinod Jat** submitted his incomplete account of election expenses, as required under law, and submitted the same beyond the prescribed time limit; and

WHEREAS, The Election Commission of India directed the DEO, Jaipur, vide its letter dated 02.01.2025 and reminder dated 25.03.2025, to ask the candidate to submit his complete accounts of election expenditure, including vouchers, registers, details of bank accounts, etc., as prescribed under the law; and

WHEREAS, as per the second supplementary report submitted by **DEO, Jaipur** dated 19.03.2025 forwarded by the Chief Electoral Officer, Rajasthan vide his letter no. F.3(1)(5)EEM/ELECTION/Candidates' Exp./2023/1490 dated 01.04.2025, has reported that **Sh. Vinod Jat** still has not submitted his incomplete account of election expenses, as required under the law, even after personally receiving the letter/notice on 10.03.2025; and

WHEREAS, due to the delayed submission and incomplete of the accounts, the Election Commission of India vide its letter no. 76/Raj-LA/40-49/2023/CEMS-1, dated 30.01.2026 directed **Sh. Vinod Jat** to submit complete accounts of election expenditure, including all supporting vouchers, and also to explain the reasons for the delay in filing the said accounts before the District Election Officer; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Jaipur** in his third Supplementary Report, vide its letter no. F. election/2026/1199 dated 01.04.2026 reported that **Sh. Vinod Jat** has not submitted the account of his election expenses in the manner required as he failed to submit vouchers of election expenses, as required under law. Further, after receipt of the Commission's letter dated 30.01.2026 (received by his wife **Smt**. **Badam Choudhary**), **Sh. Vinod Jat** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of his election expenses in the manner as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Vinod Jat** has failed to lodge his account of election expenses in the manner required under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Vinod Jat, 43, Gram Naradpura, Tehsil-Jamwaramgarh, District-Jaipur, Rajasthan,** a contesting candidate from **47-Amer Assembly Constituency** of Rajasthan in General Election to Legislative Assembly, 2023 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/RJ-LA/47/2023/CEMS-I]

RAKESH KUMAR, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.24 16:24:03 +05'30'